

**न्यायालय : सज्जन सिंह सिसौदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.**

क्रमांक- .....

शिवपुरी दिनांक- .....

**-:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::-**

मैं सज्जन सिंह सिसौदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0 धारा-14 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **जनवरी-2024** में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाता हूँ :-

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	माह जनवरी के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1	श्रीमती नेहा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	07-01-2024 26-01-2024
2	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	20-01-2024 21-01-2024
3	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	01-01-2024 28-01-2024
4	श्रीमती सुनीता पचौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	14-01-2024 15-01-2024
5	श्री अनुरागसिंह कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	01-01-2024 14-01-2024 15-01-2024 26-01-2024
6	सुश्री आरती रतोनिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	07-01-2024 20-01-2024 21-01-2024 28-01-2024

7	श्री महेश कुमार वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	07-01-2024 26-01-2024
8	श्रीयुत श्रीकृष्ण बुखारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	20-01-2024 21-01-2024
9	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	01-01-2024 28-01-2024
10	सुश्री मोनिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	14-01-2024 15-01-2024
11	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	07-01-2024 14-01-2024 15-01-2024 26-01-2024
12	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	01-01-2024 20-01-2024 21-01-2024 28-01-2024
13	श्री भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियांधाना, जिला शिवपुरी	खनियांधाना	01-01-2024 07-01-2024 14-01-2024 15-01-2024 20-01-2024 21-01-2024 26-01-2024 28-01-2024
14	श्री अविनाश छारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	01-01-2024 07-01-2024 14-01-2024 15-01-2024 20-01-2024 21-01-2024 26-01-2024 28-01-2024

नोट :-

01. यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।
02. यदि माह **जनवरी-2024** में किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तथा पूर्व से घोषित ऐसे स्थानीय अवकाश बावत् या अन्य किसी प्रकार के अवकाश बाबत जिसके बारे में इस आदेश में उल्लेख नहीं हो सका है, उसके संबंध में जिला न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन श्रीमती सुनीता पचौरिया, जे0एम0एफ0सी0 शिवपुरी के द्वारा, न्यायालय कोलारस में सुश्री आरती रतोनिया, जे0एम0एफ0सी0 कोलारस द्वारा, न्यायालय करैरा में श्रीमती कमला गौतम, जे0एम0एफ0सी0 करैरा के द्वारा, न्यायालय पिछोर में सुश्री नेहा प्रजापति जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के द्वारा, न्यायालय खनियाधाना में श्री भूपेन्द्र तिवारी जे0एम0एफ0सी0 खनियाधाना द्वारा एवं न्यायालय पोहरी में श्री अविनाश छारी जे0एम0एफ0सी0 पोहरी के द्वारा किया जावेगा।
03. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2023 के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
04. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।
05. जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन किया जाना है, वह उक्त कार्य हेतु अपने न्यायालय के दो सक्षम

- कर्मचारी जो कि, शीघ्रता से कार्यवाही का निष्पादन कर सकें, उन्हें कार्य के दौरान उपस्थित होने के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करके उनके सहयोग से कार्य का निष्पादन कर सकेंगे।
06. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा।

सज्जन सिंह सिसौदिया  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शिवपुरी म.प्र.।

पृष्ठांकन क्र० .....  
प्रतिलिपि :-

दिनांक .....

1. श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
2. श्रीमती नेहा प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
3. श्री अमित प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
4. श्रीमती रूपम तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
5. श्रीमती सुनीता पचौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
6. श्री अनुरागसिंह कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।
7. सुश्री आरती रतौनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।
8. श्री महेश कुमार वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
09. श्रीयुत श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
10. श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
11. सुश्री मोनिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
12. श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी।
13. सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी।
14. श्री अविनाश छारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी।
15. श्री भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
16. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, शिवपुरी/करैरा/पिछोर/पोहरी/कोलारस/खनियाधाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

17. चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल जिला शिवपुरी म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
18. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
19. निज सहायक न्यायालय मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
20. प्रवर्तन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सज्जन सिंह सिसौदिया  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शिवपुरी म.प्र.।